

Admission Rules

नोट: विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर परिवर्तित किये गए नियमों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया/ निर्देशों/नियमों में बदलाव संभव है।

• प्रवेश प्रक्रिया (Procedure)

A) बी.ए. / बी.एस.सी. / एम्.ए. प्रथम वर्ष हेतु

- 1) एम्. जे. पी. रु. विश्वविद्यालय बरेली की वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर ऑनलाइन एडमिशन पर रजिस्ट्रेशन करें तथा प्रिंट निकाल लें।
- 2) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सभी आवश्यक संलग्नको (BA व B.Sc. प्रथम वर्ष के आवेदक कक्षा 10 व 12 की अंकतालिका तथा प्रमाणपत्र की छायाप्रति, 12वीं कक्षा के संस्थान की टी सी व चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आरक्षण लाभ के लिए सम्बंधित प्रमाणपत्र की छायाप्रति, भारांक के लिये NSS / NCC / स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र की छायाप्रति तथा MA प्रथम वर्ष के आवेदक स्नातक की तीनों कक्षाओं की अंकतालिका की छायाप्रति, आरक्षण लाभ के लिए सम्बंधित प्रमाणपत्र की छायाप्रति, भारांक के लिये NSS / NCC / रोवर्स-रंजेर्स के प्रमाणपत्र की छायाप्रति) सहित निर्धारित तिथि तक कॉलेज कार्यालय में जमा करें।
- 3) मेरिट सूची देखते रहें एवं मेरिट सूची में नाम आने पर साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रपत्रों के साथ स्वयं उपस्थित हों।
- 4) साक्षात्कार में चयन होने पर उसी दिन कॉलेज की वेबसाइट www.govtpgcollegebisalpur.org पर ऑनलाइन एडमिशन पर जाकर एडमिशन फॉर्म कक्षावार भरकर प्रिंट निकालें तथा एडमिशन शुल्क (including registration fee Rs 50 / Admission) जमा कर शुल्क रसीद का प्रिंट दो कॉपी में निकाल लें।
- 5) एडमिशन फॉर्म को सम्बंधित अध्यापक से फॉरवर्ड कराकर शुल्क रसीद की एक कॉपी के साथ महाविद्यालय कार्यालय में उसी दिन 2:30 बजे तक जमा करें।

B) बी.ए. / बी.एस.सी. II व III तथा एम्.ए. फाइनल हेतु

- 1) ऑनलाइन एडमिशन पर जाकर एडमिशन फॉर्म कक्षावार/ विषयवार भरकर प्रिंट निकालें तथा एडमिशन शुल्क (including registration fee Rs 50 / Admission) जमा कर शुल्क रसीद का प्रिंट दो कॉपी में निकाल लें।
- 2) एडमिशन फॉर्म को सम्बंधित अध्यापक से फॉरवर्ड कराकर शुल्क रसीद की एक कॉपी के साथ महाविद्यालय कार्यालय में उसी दिन 2:30 बजे तक जमा करें।

• प्रवेश आवेदन सम्बन्धी निर्देश (Instructions Regarding Admission)

1. कोई भी संलग्नक बाद में प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. अपूर्ण एवं अन्तिम तिथि के बाद आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेश आवेदन-पत्र के जमा करने की अंतिम तिथि को सायं 2:30 PM तक ही आवेदन-पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
4. मेरिट सूची नियमित देखते रहें क्योंकि महाविद्यालय अभ्यर्थी को अन्य किसी माध्यम से सूचित नहीं करता है।
5. प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही प्रवेश वैध माना जाएगा। अतः साक्षात्कार के बाद शुल्क तुरन्त जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा आपके स्थान पर दूसरे को प्रवेश दे दिया जायेगा।
6. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अनिवार्य हैं
 1. हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 2. इंटरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 3. आरक्षण के लिये सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 4. अधिभार अंकों के लिये सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
 5. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंक-पत्रों की छाया प्रतियाँ।
5. मेरिट सूची में नाम आने पर साक्षात्कार के समय निम्नलिखित मूल प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है
 - हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा का मूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
 - इंटरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा का मूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
 - आरक्षण का मूल प्रमाण-पत्र।
 - (अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 1 जनवरी 2015 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। केवल, नवीन निर्धारित प्रमाण-पत्र के प्रारूप पर प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।)
 - अधिभार अंकों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।
 - स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंक-पत्र।
 - अन्तिम विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त ट्रांसफर सर्टिफिकेट (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र)।
 - अन्तिम विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट (चरित्र प्रमाण-पत्र)।

- (यदि पूर्व परीक्षा में व्यक्तिगत छात्र रहे हों तो किसी राजपत्रित अधिकारी, एम.पी., एम.एल.ए., एम.एल.सी., नगर पालिका या टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।)
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से निर्गत माइग्रेशन सर्टिफिकेट (प्रवजन प्रमाण-पत्र)। (केवल एम्. जे. पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के अतिरिक्त परीक्षा संस्था से उत्तीर्ण होने वाले प्रवेशार्थियों के द्वारा)
- अर्ह परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद एक वर्ष के अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी का शपथ-पत्र।

6. साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।

प्रवेश हेतु नियम (Rules for Admission)

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पूर्णतः मेरिट (योग्यता-सूचकांक) के आधार पर होगा।
2. प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
3. प्रवेश में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
4. वर्तमान में प्रवेश में आरक्षण इस प्रकार है
अन्य पिछड़ा वर्ग - 27%
अनुसूचित जाति - 21%
अनुसूचित जनजाति - 02%
5. इनके साथ सम्बन्धित संवर्ग में **क्षैतिज आरक्षण** इस प्रकार है -
a) स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त/अपंग रक्षाकर्मी/युद्ध में शहीद रक्षाकर्मियों के पुत्र-पुत्री को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार क्षैतिज आरक्षण -2%
b) दिव्यांगो हेतु क्षैतिज आरक्षण 03%
c) महिला अभ्यर्थी - 20%

नोट: a) व b) के लिए अधिकतम आरक्षण 5% से अधिक नहीं होगा।

6. प्रवेशार्थी सोच-विचार कर विषयों का चयन करें। प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
7. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा छोड़ देने अथवा अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य संकाय की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
8. संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी परीक्षा विद्यार्थी उत्तीर्ण कर चुका है।

9. अनुचित साधन (UFM) का प्रयोग करने वाले एवं अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. जिस छात्र/छात्रा पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो या दंड प्राप्त हुआ हो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
11. गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उसके द्वारा जमा किया हुआ शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा।
12. प्राचार्य किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत किसी कोर्ट को विश्वविद्यालय और प्राचार्य द्वारा प्रवेश सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता एवं योग्यता-सूचकांक (Eligibility and Merit-index for Admission in UG Classes)

1. बी.एस-सी. (गणित वर्ग) के लिए इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बी.एस-सी. (जीवविज्ञान वर्ग) के लिए इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए इंटर के बाद अधिकतम अंतराल तीन वर्ष तक मान्य है। प्रति वर्ष के अन्तराल पर योग्यता सूचकांक से 02 अंक की कटौती की जाएगी।
3. BA प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक nonstream के छात्रों के योग्यता सूचकांक से 5 अंको की कटौती होगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता एवं योग्यता-सूचकांक (Eligibility and Merit-index for Admission in PG Classes)

1. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक परीक्षा में 45% अंक है। (SC व ST के छात्रों को नियमानुसार 5% की छूट होगी अर्थात् उनके लिए 40% होगी।
2. स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश दिया जायेगा जो स्नातक अंतिम वर्ष में रहा होगा।
3. योग्यता सूची में प्रैक्टिकल विषयों के अंक सम्मिलित नहीं होंगे।
4. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक परीक्षा के उत्तीर्ण वर्ष से एक वर्ष से अधिक अन्तराल वाले छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रति वर्ष अन्तराल पर मेरिट सूचकांक से 05 अंक की कटौती की जायेगी।

5. MA कक्षा में 10% सीटें nonstream के लिए आरक्षित होंगी।

अधिभार अंको (Weightage) का विवरण

क्रम सं.	इवेंट	अधिभार अंक
1	• NSS में एक विशेष शिविर तथा 120 घंटे या 240 घंटे के प्रमाण पत्र के लिए	05
	• NSS में दो विशेष शिविर तथा 240 घंटे के प्रमाण पत्र के लिए	10
2	• NCC 'बी' सर्टिफिकेट के लिए	05
	• NCC 'सी' सर्टिफिकेट के लिए	10
3	• इंटरमीडिएट स्तर तक स्काउट व गाइड के तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05
	• प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत.....	10
	• भारत के राष्ट्रपति /उपराष्ट्रपति/ प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	10
4	• रोवर्स/रंजर्स के निपुण प्रमाणपत्र के लिए.....	05
	• विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुत्र /पुत्री /पति/पत्नी	10
5	• राष्ट्रीय अथवा अंतर्विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशेष उपलब्धि	10
	• विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05

नोट: 1) अधिकतम 10 अंक का अधिभार ही देय होगा।

शुल्क (Fees)

प्रवेश के समय शासन व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। प्रयोगशाला/पुस्तकालय/काशनमनी केवल प्रथम वर्ष में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों से लिया जायेगा। नामांकन शुल्क नये प्रवेश एवं अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों से लिया जायेगा। उपाधि शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार लिया जायेगा। शुल्क का परिवर्तन शासन व विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जा सकता है।

प्रवेशोपरान्त (What to do After Admission)

1. शुल्क जमा करने के साथ प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
2. प्रवेश रसीद/शुल्क रसीद प्रस्तुत कर कार्यालय से परिचय-पत्र प्राप्त करें।
3. सूचना पट से सम्बन्धित विषय की समय सारणी नोट कर लें।

4. प्रवेश रसीद/शुल्क रसीद सम्बन्धित विषय की कक्षा में प्राध्यापक के समक्ष प्रस्तुत कर सम्बन्धित विषय की व्याख्यान पंजिका में नाम अंकित करा लें एवं कक्षाओं में नियमित उपस्थित हों।
5. स्मरण रहे कि विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक विषय में अलग-अलग कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने की दशा में विश्वविद्यालय विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित कर सकत है।
6. प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह महाविद्यालय, कार्यालय तथा विभागों के सूचना पट्ट को महत्वपूर्ण सूचनाओं/नियमों /परिनियमों के लिए देखता रहे। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों/परिनियमों का पालन विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य है।

महाविद्यालय में संचालित विषयों का विवरण -

Department of Arts	
B.A. (Under Graduate)	
1.	Hindi Language (<i>*can be opted only For BA I and II year</i>)
2.	Hindi Literature
3.	English Language (<i>*can be opted only For BA I and II year</i>)
4.	English Literature
5.	Sanskrit
6.	Economics
7.	History
8.	Political Science
9.	Physical Education and Sports (<i>*Qualifying in BA I, II and III</i>)
10.	Environmental Science (<i>*Qualifying in BA I or II or III</i>)
Note:-	
1) One language subject is must to opt in BA I and II	
2) Only one language can be opted in BA I and II	
3) Any four subjects can be opted in BA I including Language subject.	
4) From Hindi Literature, English Literature and Sanskrit, only two subjects can be opted.	
5) From Economics, History and Political Science, only two subjects can be opted in BA I.	
6) In BA III, Students can opt only any two subjects studied in BA I, II.	
7) In BA III no language subject can be opted.	
MA (Post Graduate)	
1.	M.A. (Hindi)
2.	M.A. (English)
3.	M.A. (Sanskrit)
4.	M.A. (Economics)
5.	M.A. (History)
6.	M.A. (Political Science)
Department of Science	
Under Graduate	

<i>B.Sc. (Bio Group)</i>	
1.	Zoology
2.	Botany
3.	Chemistry
4.	Physical Education and Sports (*Qualifying in B.Sc. I, II and III)
5.	Environmental Science (*Qualifying in B.Sc. I or III)
In B.Sc. III, Students can opt only any two subjects studied in B.Sc. I and II	
<i>B.Sc. (Math Group)</i>	
1.	Physics
2.	Mathematics
3.	Chemistry
4.	Physical Education and Sports (*Qualifying in B.Sc. I, II and III)
5.	Environmental Science (*Qualifying in B.Sc. I or III)
In B.Sc. III, Students can opt only any two subjects studied in B.Sc. I and II	
All the courses are affiliated to MJP Rohilkhand University Bareilly UP	